अध्याय प्रथम

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले परिवारों के बालकों के बालधिकारों की स्थिति : वर्धा पंचायत समिति का क्षेत्रीय अध्ययन

प्रस्तावना :-

किसी भी देश का भविष्य उस देश के बालकों एवं बालिकाओं की होने वाली परवरिश पर आधारित होती हैं | अगर बालकों एवं बालिकाओं की परवरिश अच्छी हैं तो उस देश का भविष्य अच्छा होगा | भारत सबसे युवा लोगों का देश हैं | इस देश में 0 से 18 आयु के बालकों की संख्या लगभग 45 करोड़ हैं | इस युवा जनसंख्या से अगर स्वस्थ नागरिक बन जाते हैं तो भारत विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाला देश बन सकता हैं | साथ ही साथ विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है | यह उपलब्धि हासिल करने के लिए क्या भारत के पास क्षमता हैं ? यह क्षमता हासिल करने के लिए क्या भारत प्रयास कर रहा हैं ? क्या युवा जनसंख्या के नजरिए से देश के विकास में अनुकूल परिस्थिति को निर्मित कर रहा हैं ? क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 'बाल अधिकार 1989' चार्टर को अपने नीति में स्थान दे पाया हैं ? इन सभी प्रश्नों का गंभीर चिंतन करने पर और वास्तविक परिस्थिति का अध्ययन करने पर हमे 2011 की जनगणना में प्रकाशित तथ्यों से हमें यह दृष्टिगत होता हैं की भारत में बल अधिकारों की स्थिति सोचनिय स्तर तक गंभीर हो गई हैं |

भारत में गरबी, कुपोषण, अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति, बाल विवाह और बाल मजदूरी बचपन के सबसे बड़े दुश्मन है | आजादी के 70 साल के बाद भी हम इनसे निजात नहीं पा सके है | बच्चे देश का भविष है यह सुनते सुनते हमारे कान पक चुके है मगर देश के कर्णधार आज तक देश को सुरक्षित जमा नहीं कर पाए है | इससे अधिक हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है | 1989 में बाल अधिकारों की घोषणा को 20 नवंबर 2007 को स्वीकार किया गया | बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण, स्वास्थ, विकास, शिक्षा, मनोरंजन, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बद्सलुखी, दुर्व्यवहार, बच्चो का का गैर –कानूनी व्यापार आदि शामिल है | बाल अधिकार बाल श्रम और बाल दुर्व्यवहार की खिलाफत करता है | जिससे वह अपने बचपन, जीवन और अधिकार को प्राप्त कर सकें |

शिक्षा बच्चो में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है और प्रगति एवं विकास के मार्ग पर आगे बढाने में कार्य करता है | देश में 6 से 14 वर्ष की आयु सीमा के बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है | विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी है | बछो के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बछो कि शिक्षा पर अपना ध्यान देना होगा | सक्षम व्यक्ति अपने बच्चो को पढ़ाने में अव्वल रहता है | मगर गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते | बच्चो को गुणवत्ता युक्त शिक्षा समान स्थर पर मिलनि जरुरी है |

देश में गरीबी के कारण भी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े है | संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के बेहद गरीब 120 करोड़ लोगो में से लग भग एक तिहाई बच्चे हमारे देश के है |

भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा है की 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चो को कारखाने आदि में नहीं रखा जाये | कारखाना अधिनियम,बाल श्रम निरोधक कानून आदि में भी बच्चो को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है | मगर बच्चे आज भी घरेलु नौकर का काम करते है | होटलों, कारखानों, सेवा केन्द्रों, दुकानों आदि में सरेआम और सरेराह बच्चो को काम करते देखा जा सकता है | कानून के रखवालो के आख के निचे बच्चे काम करते मिल जाएंगे | सरकार ने स्चूलो में बच्चो के लिए शिक्षा, वस्त्र, भोजन आदि की मुफ्त व्यवस्था की है | मगर सरकार के लाख जतन के बाद भी बाल श्रम आज बदस्तूर जारी है | नेशनल सेम्पल सर्वे की सगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है की दो तिहाई लोग पोषण के सामान्य मानक से कम खुराक प्राप्त कर रहे है | एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है की कुपोषित और कम वजन के बच्चो की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत भाग भारत में है |

गरीबी रेखा निर्मिती :-

राममनोहर लोहिया ने सबसे पहले गरीबी रेखा तय करने संबंधि मुद्दा उठाया था । उन्होने कहा था, 'रोजाना तीन आने कम कमाने वाले को गरीब माना जाए।' नेहरू ने कमिटी बनाई, जिसमें 1960-61 के रेटों पर गांवो के लिए प्रति व्यक्ति प्रति महिना 16 रुपए और शहरों के लिए 20 रुपए तय किए।

आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा पहली बार 70 के दशक मेन तय की गयी । वी.एम दांडेकर समिति ने फोर्ड फाउंडेशन के लिए एक स्टडी की इसके आधार पर पहली बार गरीबी रेखा सामने आयी । इसे तय करने का आधार इस बात को बनाया गया कि घर मेन मेंबर हर दिन कितनी कैलरी लेते है । गांवो में लोग ज्यादा मेहनत करते है, इसलिए वहाँ के लिए 2400 कैलरी और शहरों के लिए 2100 कैलरी तय की गयी ।

गरीबी एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है । गरीबी के नाम पर सत्ता तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है तो कभी सत्तधिशों को सत्ता से अलग करने के लिए सियासत बनती है । सत्ता प्राप्त करने वाले नेता और अधिकारी इसमें रईस हो जाते है । गरीबी पर अफसोस जताकर कई सरकरे इधर की उधर हो जाती है । इस सब तमाशे के बीच गरीब हमेशा गरीब ही रहता है । यहाँ तक की खुद को गरीब साबित करने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है । इधर, यह सवाल फिर से उठता है की गरीब किसे माना जाए? क्या दो वक़्त की रोटी नसीब है, वह गरीब नहीं है या बेसिक सुविधाओं के बिना भी इंसान को गरीब ही माना जाए।

जिस शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश **'सामाजिक कल्याण'** के लक्ष्य की प्राप्ति हो उस देश में गरीब और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग निरंतर बढ़ते जाते हो यह शर्मनाक और कुशासित देश होने का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है । देश में आजादी के उपरांत देश ने अपना लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को

संधी, अवसर और गरिमा के साथ स्वतंत्र समता और बंधुत्व प्रस्थापित करना ठगा। परंतु आजादी के 70 साल में देश ने उसके विरोधी लक्ष्य को प्राप्त किया है। देशमेन बंधुत्व स्थापित करने का लक्ष्य विफल हुआ है। समानता का लक्ष्य भेदभाव को प्रस्थापित करने वाली राजव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ने प्राप्त किया है। न्याय की अवधारणा भी नागरिकों के अनुरूप बदलती रहती है। आदमी गुनहगार है परंतु अमीर है तो न्यायव्यवस्था उसके मरने तक सजा नहीं सुनती और व्यक्ति ने जीवनयापन के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ और कोई जंगली प्राणी जो छोटा-मोटा हो जिसे कानून की जानकारी भी नहो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायव्यवस्था प्रस्थापित गुनाहगार समझकर 6 माह में शिक्षा और दंड दोनों का प्रावधान करा देती हैं।

समय-समय पर गरीबों को छांटने और गरीबी मिटाने के लिए तमाम कमिटियाँ बनी हर एक कमिटि ने अलग-अलग आधार पर मोटी-मोटी रेपोर्ट्स बनाई और सरकार ने जमा करते रहने का काम किया। इनके आधार पर गरीबों की संख्या सरकारी मतलब के अनुसार कम की जाती रही। भारत के जाने-माने सरकारी अर्थशास्त्रियों ने रिपोर्ट बनाई। जिनमें प्रमुखता से सुरेश तेंदुलकर ने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें सिर्फ खाना गरीबी का पैमाना माना गया। इसमें दो बाते ली गयी कैलरी और स्वास्थ तथा शिक्षण। इग्नू के पूर्व डाइरेक्टर श्रवण कुमार सिंह का कहना है कि 'गरीबी रेखाकी सीमा 32 रुपये की जगह 100 रुपये भी कर डे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। असली फायदा तभी होगा जब गरीबी हटाने की योजनाए माइक्रो लेवेल पर लागू होगी।'

गरीबी रेखा का फायदा :-

गरीबी रेखा का उपयोग जरूरी वस्तु और सेवाओं में सरकारी रियायतों के लिए किया जाता है। न की असल गरीबों की बेहतरी के लिए। इस आधार पर लोगों को छाटने के पीछे सरकारों का मकसद यह दिखाना होता है कि **'आर्थिक विकास में गरीबों को लाभ दिया जा रहा है।'** मौजूदा समय में गरीबों को दी जा रही सुविधाओं का आधार 2001 की जनगणना है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेक सिंह आहुलुवालिया और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि **'गरीबों के लिए चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों का लाभ किसे मिले यह तय करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे।'** श्रवण कुमार सिंह 'गरीबों को सबसिडी देने से बेहतर है कि सरकार इनके लिए बेहतर पब्लिक सेवाओं को उपलब्ध कराए।

देशबंधु- जून 25, 2011-09:40

गरीबी रेखा और गरीब,

google weblight.com

https://www.deshbandhu.co.in/vichar

follow@deshbandhunews

गरीबी रेखा :–

1) सुरेश तेंदुलकर - 37% (2009)
2) एन.सी सक्सेना कमिटि - 50% (2009)
3) अर्जुन सेनगुप्ता कमिटि - 77% (2006)
4) वर्ल्ड बैंक - 41% (2011)
5) प्लानिंग कमीशन - 26% (2009)

2011 की जनगणना भले ही भारत को युवाओं का देश बताती हो परंतु इससे देश के विकास के लिए मानव संसाधनों की प्रचुरता से बेहतर परिस्थिति निर्माण नहीं हो रही हैं, इस परिस्थिति में देश की तुलना विश्व के विकसित राष्ट्रों से नहीं की जा सकती, ऐसा क्यों ? यह एक मूलभूत प्रश्न बन जाता हैं ? इस प्रश्न का उत्तर उसके बालकों एवं बालिकाओं को मिलने वाली सुविधा तथा वास्तविक रूप मे प्राप्त होने वाले अधिकारों से प्राप्त होती हैं | इसका तथ्यात्मक विश्लेषण 2011 की जनगणना में मिलता है –

1. प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले कुल 2.6 करोड़ बालकों एवं बालिकाओं में से लगभग 20 लाख से अधिक बालकों एवं बालिकाओं की पाँच वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो जाती हैं |
2. इनमें से 40 प्रतिशत बालक कुपोषण से मर जाते हैं |
3. नवजात शिशुओं में प्रतिवर्ष टीकाकरण की दर वैश्विक मानक से बहुत कम हैं |
4. तीन वर्ष से कम आयु के लगभग 79 प्रतिशत बालक रक्त अल्पता के शिकार हो जाते हैं |
5. आधे से अधिक बालकों में आयोडीन की मात्रा कम होने से स्मृति क्षमता क्षीण हो जाती हैं |
6. यदि बच्चों एवं बच्चियों की शिक्षा की बात करे तो कहने के लिए अधिकांश बालकों का विधालय में नामांकन होता हैं परंतु उनमें से आधे से अधिक बालक काम के बोझ के कारण अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी बीच में छोड़ जाते हैं |
7. तमाम संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं तथा बाल संरक्षण समितियों के बावजूद बालकों एवं बालिकाओं की स्थिति में तथा उनके बाल अधिकारों की स्थिति निराशा जनक है |

वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार को नि:शुल्क एवं अनिवार्य कर दिया है | आर टी ई अधिनियम 2009 पारित हुआ | पर इस कानून का अमल 1 अप्रेल 2010 से हो रह हैं | इसमें 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों एवं बच्चियों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा मुहैया करना था, जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है | देश के सबसे कमजोर वर्ग यानी दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक शिक्षा से वंचित रहे हैं | 2015 की एक सरकार समर्थित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई | इस रिपोर्ट में देश के स्कूल जाने से वंचित बच्चों 49 प्रतिशत का संबंध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से था | 36 प्रतिशत का संबंध पिछड़े वर्ग से था और 25 प्रतिशत का संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से था | इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया 20.4 करोड़ बच्चों में से तीन प्रतिशत बच्चे ऐसे है, जो स्कूल जाने से वंचित हैं | हालांकि ये सारे आंकड़े सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं |

बालकों के अधिकार संबंधी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान :-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (अ), जो एक मूल अधिकार है, में राज्य, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसे रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबंध करेगा | इसे 46 संशोधन अधिनियम 2002 से स्थापित किया गया हैं |
2. अनुच्छेद 23 में मानव से दुर्व्यवहार और बलातश्रम का प्रतिरोध करता है |
3. अनुच्छेद 24 में कारख़ानों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध |
4. संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा | इस अनुच्छेद को 46 संशोधन अधिनियम 2002 में निम्न रूप दिया हैं ? 45- 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध- राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा |"
5. बालविवाह अंकुश अधिनियम 1929 (संशोधन पी सी एम 2006) |
6. बालश्रम (निषेध एवं विनिमय) अधिनियम 1986 |
7. बालश्रम राष्ट्रीय नीति संबंधी केंद्रीय सलहकर बोर्ड 2008 |
8. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2000 |
9. शिशु दुग्ध विकल्प ,फीडिंग बोतल तथा शिशु भोज्य (उत्पादन, आपूर्ति व वितरण का नियमन) अधिनियम 1992 का (41) |
10. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम (NCPCR) की स्थापना 2007 जो संवैधानिक निकाय हैं |
11. लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 |
12. राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 |
13. राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 |

    यह योजना 18 वर्ष तक के सभी बच्चो को समस्त अधिकार प्रदान करने के प्रति वचन बद्ध हैं |

14. हिन्दू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम (MAMA) 1956 |

    यह अधिनियम हिन्दू,सिख, जैन तथा बौद्ध पर लागू होता है |

15. बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 |

यह राज्य, संघा शासित प्रदेशों में बल न्यायालयों के गठन के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी लक्ष्य देता हैं |

संयुक्त राष्ट्र संघ :-

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार करार के अंतर्गत 54 अनुछेद है | इन को चार भागों में वर्गीकृत किया हैं |

1) अस्तित्व का अधिकार
2) संरक्षण का अधिकार
3) विकास का अधिकार
4) सहभाग का अधिकार

1. अस्तित्व का अधिकार :-

- योग्य आहार, निवारा, स्वच्छ जल , स्वच्छता गृह |
- आरोग्य सेवा एवं लसीकरण |
- नाम एवं राष्ट्रीयत्व |
- बालिकाओं को जन्म का हक हैं |
- स्वयं का भविष्य तथा व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना |

2. संरक्षण का अधिकार :-

- बुरे बर्ताव से मुक्ति |
- दुर्लक्षित करना, मारना, शोषण से संरक्षण |
- नैसर्गिक आपत्ति, युद्ध एवं संकट के समय विशेष संरक्षण |

3. विकास का अधिकार :-

- शिक्षा, कला, कौशल विकास, मानसिक आधार |
- विकास के लिए सुरक्षित माहौल |
- तांत्रिक शिक्षा, व्यवसाय मार्गदर्शन और सलाह |
- खेलने की संधि , बालिकाओं को गृहकार्य के बदले खलने की संधि |

4. सहभाग का अधिकार :-

- सामाजिक भेदभाव से मुक्ति व संरक्षण |
- धार्मिक भेदभाव से संरक्षण |
- आर्थिक भेदभाव से संरक्षण |
- लैंगिक भेदभाव से संरक्षण |
- प्रश्न पूछने की आजादी |
- स्वतंत्र विचारों का विकास |

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल चार्टर पर 11 दिसम्बर 1992 की कुछ प्रावधानों पर सहमति देकर स्वीकृत किया हैं |

बालकों की वास्तविक स्थिति :-

भारत में महत्वाकांक्षी शिक्षा कानून लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गई है, लगभग हर बालक का दाखिला हुआ तो भी उनमें से आधे बालकों की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है | चार भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक बालकों के विरुद्ध किए जा रहे भेदभाव का लेखाजोखा बयान कर दिया | यह भेदभाव एक अप्रिय वातावरण का निर्माण करता है | जिसके करण बालक स्कूल से अकारण गैर हो जाता है और अंततः बालक स्कूल जाना बंद कर देता है | निगरानी की कमजोर प्रणाली उन बालकों की पहचान करने और उनका पता लगाने में विफल रहती है जो अनियमित तौर पर स्कूल जाते हैं, जिनके स्कूल छोड़ देने का खतरा हैं, अथवा जो स्कूल छोड़ चुके हैं |

"भारत की उसके सभी बच्चों को शिक्षित करने की विशाल परियोजना अध्यापको तथा अन्य स्कूल के अन्य कर्मचारियों द्वारा निर्धन एवं हाशिए पर रह रहे बालकों के विरुद्ध गड गई तक जड़ जमा चुके भेदभाव का शिकार बनने के खतरे का सामना कर रही हैं |"

" खतरे का सामना करने वाले बालक जो प्राय: अपने परिवार के वो पहले सदस्य होते है जो कक्षाके भीटाए दाखिल होते हैं, अध्यापक उन्हे प्रोत्साहित करने के बजाय प्राय: उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार भी करते हैं |

बालकों का आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष :-

बालकों के विकास पर पारिवारिक आर्थिक अक्षमता का भी बहुत बड़ा विपरीत परिणाम होता है| आर्थिक रूप से निर्धन या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार अपने बालकों को सभी सुविधाओं का सृजन विकास के लिए नहीं कर पाते हैं | इस परिस्थिति का कैसे मुक़ाबला किया जाए, इसी विवंचना में वे अपने बालकों को विकास संबंधी सुविधाओं की तरफ ध्यान देना उनकी प्राथमिकता होती वे अपनी रोजगार संबंधी जरूरत पूर्ण करने के लिए प्रथम प्रयोरिटी देते है | उनके कार्य स्थल भी निश्चित नहीं होते है इसलिए उनके रोजगार संबंधी स्थलान्तर का भी बालकों की शिक्षा पर विपरीत परिणाम होता हैं | बालकों को माँ -बाप के साथ स्थानान्तरण करना पड़ता हैं | माँ-बाप मजदूरी काम में कार्यरत होने से भी स्कूल के समय स्थानान्तरण होता है इससे बालकों की शिक्षा बीच में ही छूट जाती हैं | वे अपने बालकों को शिक्षा संबंधी आनेवाली दिक्कतों को भी दूर नहीं कर सकते | वे अपने बालकों को निजी स्कूल या अच्छे स्कूल के चयन करने में भी सक्षम नहीं होते हैं | इसलिए इन बालकों को सरकारी स्कूलों पर अपने विकास के लिए निर्भर रहना पड़ता हैं |

बालकों का सामाजिक पक्ष :-

भारत में जाति व्यवस्था का अस्तित्व बालकों के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता हैं | गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार ये मुख्यत: अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक(मुसलमान) होते हैं | इन समूह में आज भी शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न हैं| इनकी सभी समस्याओं का प्रमुख केंद्र रोजगार से संबंधित होता है | इनके रोजगार निम्म प्रकार की सेवाओं को सनज को देना होता हैं | इन समूह मेन बेरोजगारी बड़े पैमाने पर होती हैं इसलिए अपराधी प्रवृति का प्रादूर्भाव स्वाभाविक बन जाता हैं | भारत मेन जेल मेन रहने वाले लोगो मेन 90 प्रतिशत बंदी अनुसूचित जाती अनुसुचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के हैं | बलमज़दूरी, व्यवसाधीनता, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, इन सभी सामाजिक विघातक प्रवृत्ति को मिलकर इन सानुदायों की एक संस्कृति बन गई हैं ,जिसमे बालक अपने जीवन की शुरवात करता हैं | बालक का बचपन ऐसे वातावरण में होने के कारण वह जिन परिस्थिति में बड़ा हो रहा हैं उसका प्रभाव उस बालक के ऊपर होता हैं | आपराधिक वातावरण में बालकों की देखभाल ठीक से नहीं होती | वातावरण के अनुरूप बालकों का विकास होते रहता हैं |

बालक देश के लिए भविष्य कालीन संसादन होता हैं | इस संसादन की उचित और पोशाक वाटरन से सक्षम बनाने वाली व्यवस्था का होना आवश्यक होता हैं | भारत में विश्व के 19 प्रतिशत बालक 0-18 वर्ष आयु समूह के हैं | 0-14 वर्ष आयु के बालक 37.5 करोड़ हैं तथा 0-6 वर्ष आयु के 15.8 करोड़ हैं | यह 53.8 करोड़ होता है जो भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का 40 प्रतिशत हो जाता हैं | बारात स्वयं को आर्थिक महासत्ता के रूप में देखना चाहता हैं | ईसके लिए सक्षम मानव संसाधनों की आवश्यक होगी जो ईन बालकों से प्राप्त होगी ईसमे कोई संदेह नही है | परंतु क्या हम ईन संसाधनों के रूप मेन देख रहे है, ईस व्यवस्था में हम अपने संसाधन निर्मित पर कितना ध्यान दे रहे है ? बालकों को सक्षम बनाने के लिए अच्छी परवरिश, स्वस्थ आरोग्य, समय के अनुरूप शिक्षा, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, बालश्रम से मुक्ति, बालअपराध तथा बालकों के प्रति होनेवाले अपराधों पर रोक, खेलकुद के अवसर, स्पर्धात्मक वातावरण में उच्च कौशल्य निर्मिती, किशोर बालकों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का विकास, कानून के राज के साथ भेदभाव आझादी, वैश्विककरण में स्पर्धा के लिए क्या हम सक्षम है ? क्या हमारे बालक खुले वातावरण में स्वच्छता से अपने लिए पसंदीदा कार्य तथा क्षेत्र का चुनाव कर सकते है | ईन सब प्रमुख बिन्दुओं पर हमारी स्थिति कहा पर है ? हमारे पास क़ानूनों की भरमार है, क्या हम ईन क़ानूनों का उपयोग समाज में व्यवस्था बनाने के लिए कर रहे है ?

भारत में गरीबी, अशिक्षा, और मौत वंचित समूह के बालकों का मौत के लिए ईन्तजार कर रही है | देश में वंचित बालकों में अनुसूचित जाती और जनजाति के 49% प्रतिशक बालक है | 36 प्रतिशत बालक पिछड़े वर्ग के है और 25 प्रतिशत बालक मुसलमान है | बालको के स्कूल में प्रवेश ना होने में बढ़ी हुई उम्र, सामाजिक गट, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का महत्वपूर्ण और शोचनीय स्तर का योगदान है | विकलांग होना स्कूल में प्रवेश में बाधा का एक कारक है |

भारत में बालश्रम :-

जनगणना के अनुसार –

1) भारत में 5 से 14 वर्ष आयु के बालकों की कुल संख्या 25.96 करोड़ हैं ; इनमें 1.01 करोड़ बालक बल मजदूरी करनें के लिए विवश हैं |
2) 5 से 9 वर्ष की 25.33 लाख बालक मजदूरी करते हैं | जब की 10 से 14 वर्ष उम्र के 75.95 लाख बालक बाल मजदूर हैं |
3) 43.53 लाख बालक मुख्य कामगार के रूप में कार्य करते हैं |
4) 3 से 6 माह कार्य करने वाले बालक 19 लाख हैं |
5) 38.75 लाख बालक छह से ज्यादा दिन बलमज़दूर के रूप में कम करते हैं |

इन बालकों में प्रमुख राज्य :-

1) उत्तर प्रदेश में 21.76 लाख बालक बलमज़दूर है |
2) बिहार में 10.88 लाख बालक बलमज़दूर है |
3) राजस्थान में 8.48 लाख बालक बलमज़दूर है |
4) महाराष्ट्र में 7.28 लाख बालक बलमज़दूर है |
5) गुजरात में 14 लाख बालक बलमज़दूर है |

कुल बल कामगारों का 55 प्रतिशत इन राज्यों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 81.02 लाख बालक मुख्य सीमांत मजदूर के रूप में कार्य करते हैं | 1 करोड़ 22 लाख बालकों की शादी कानून मान्य उम्र के पहले कर दी जाती हैं | इसका असर सम्पूर्ण देश पर होता हैं, जैसे समय से पूर्व मातृत्व, अपरिपक्व उम्र में गर्भवस्ता, माँ-बाप बनना, समजदारी की समझन होना, स्वास्थ की हानी होना, शिशु मृत्यु, बालमृत्यु, माता मृत्यु, बलकों का कुपोषण, स्वास्थ गिरावट, तलाक तथा विकलांग या दिव्यंगों में बढ़ोतरी |

वर्धा :-

महाराष्ट्र राज्य में वर्धा जिला हैं | यह विदर्भ क्षेत्र में स्थित हैं | वर्धा जिला का मुख्यालय हैं | 2011 की जनगणना के अनुसार वर्धा जिले में 8 तालुका हैं | क्षेत्रफल 2436 चौ. मेल हैं | जनसंख्या 12,96,157 हैं | 2011 की जनगणना के नुसार साक्षरता 87.22 प्रतिशत हैं | विधानसभा मतदार संघ 4 हैं | शहरी लोकसंख्या 309696 और ग्रामीण 921244 हैं | अनुसूचित जाती 149975 और अनुसूचित जनजाति 166000 हैं | ग्रामपंचायत 512 हैं | गाँव की संख्या 1361 हैं | पुलिस स्टेशन 17 हैं | यहा का प्रमुख व्यवसाय कृषि हैं |यहाँ प्राथमिक शाला 1694, माध्यमिक शाला 159, कनिष्ठ/वरिष्ठ महाविध्यालय 82, आदिवासी आश्रम शाला 13, अभियांत्रिकी, वैधकिय, फार्मसी आदि भी हैं | तथा महात्मा गांधी हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविध्यालय भी हैं | वर्धा तालुका के अंतर्गत 138 ग्रामों का समावेश होता हैं |

वर्धा जिला बाल संरक्षण समिति :-

वर्धा में बाल संरक्षण समिति की स्थापना 10 मई 2013 को हुई हैं | इसका मुख्यालय केलकर वाडी (नेरकर बिल्डिंग) स्थित बालगृह में स्थित हैं | जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रशासनिक संरक्षण में मुख्य रूप से 9 सदस्य हैं, जिसमें 1 सदस्य जिला संरक्षण अधिकारी, 2 सदस्य संरक्षण अधिकारी, 1 सदस्य परामर्शदाता, 1 सदस्य कानूनी सलाहकर, 2 सदस्य समाजकार्यकर्ता, 2 सदस्य बाह्य कार्यकर्ता होते हैं | वर्तमान में वर्धा स्थित जिला बालसंरक्षण समिति के अंतर्गत 1सदस्य परामर्शदाता के रूप में हैं | जिला बाल संरक्षण समिति की मुख्य भूमिका होती हैं की जिले के अंतर्गत बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण जैसे पहलुओं पर विशिष्ट नीति तैयार करके ग्राम बल संरक्षण समिति के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका वाहन करे |

साहित्य पुनरावलोकन :-

किसी भी विषय में शोधकार्य करने से पूर्व साहित्य पुनरावलोकन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें शोधकर्ता द्वारा चयनित विषय से संबंधित शोध आलेख, पुस्तकें, साहित्य समीक्षा, शोध प्रबंध एवं प्रकाशित तथा अप्रकाशित साहित्य होता है। जिसका अध्ययन करने के बाद चयनित विषय को एक दिशा मिलती है। इससे शोधकर्ता को अपने विषय से संबंधित सिधान्त, आंकड़े एवं अन्य विषय संबन्धित जानकारी विस्तारपूर्वक मिलती है। साथ ही साहित्य का पुनरावलोकन से शोधकर्ता के विचार उस साहित्य से किस तरह से जुड़ रहे है, पूर्व शोध से जुड़ा है पर यह उस शोध से कैसे अलग है, शोधकर्ता कैसे अपने विषय को उस साहित्य से समझने की कोशिश करता है। किसी साहित्य को पढ़ने के बाद नए विचारों का निर्माण करता है, जिससे शोधकर्ता की समझ विकसित होती है और उसमें क्या नया होता है, या उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, जो शोधकर्ता के विषय से संबन्धित है आदि सारी बातों को अग्रसारित करना ही साहित्य पुनरावलोकन की प्रक्रिया से गुजरने जैसा है।

समस्या के अंतर्गत जहां उपकरणों का उपयोग तथा स्वीकृत तत्वों के संकलन कार्य विश्लेषण हेतु किया जाता है। समस्या से संबंधित सम्पूर्ण साहित्य का पुनरावलोकन अध्ययन कार्य का मूलाधार है तथा शोध के गुणात्मक स्तर के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। कार्य में पुनरावृत्ति से बचने हेतु भावी कार्य की मौलिकता को जीवंत रखने के लिए संदर्भित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। स्वयं के अध्ययन के विषय के संबंध में विस्तृत सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करने में संदर्भित साहित्य का सहयोग रहता है।

साहित्य पुनरावलोकन से :-

- विषय की समझ होती है।
- ज्ञान का प्रदर्शन/विस्तार होता है।
- स्वयं के विचारों का विकास करने में मदद होती है।

ऑक्सफोर्ड शब्दावली के अनुसार- साहित्य और पुनरावलोकन दोनों को अलग-अलग करके उसे परिभाषित किया गया :-

- Review - पुनरावलोकन का शब्द विच्छेदन है, पुनरावृत्ति: पुन: निरीक्षण या उस पर पुन : विचार करना(उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हेतु(, उसे ठीक से समझने की पुष्टि के लिए किसी का पुनर्विलोकन या उस पर पुनर्विचार करना।
- Literature साहित्य कलात्मक माना जाने वाला लेखन जैसे/ — उपन्यास, लेख, नाटक कविता। किसी विषय पर मुद्रित सामग्री को भी साहित्य कहा जाता है।

साहित्य पुनरावलोकन दो प्रकार से किया जा सकता है :-

- चयनात्मक (Selective literature Review)
- विस्तारपूर्ण (Comprehensive literature Review)

शोध में साहित्य पुनरावलोकन को प्राय: प्रारंभिक स्तर पर किए जाने वाले ऐसे कार्य के रूप में समझा जाता है जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान संबंधी प्रदत्त सूचनाओं को एकत्रित करने तथा जो कुछ पहले अनुसंधान ज्ञात किया जा चुका है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक अनुसंधानों में इसका उद्देश्य हटकर होता था। अन्य अनुसंधानों की तुलना में इसमें कुछ अधिक व्यापकता से दिया गया है। अत: ऐतिहासिक अनुसंधानों में साहित्य पुनरावलोकन के सर्वेक्षण और पुनरावलोकन से मुख्यता: निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य माना गया है -

1) अनुसंधानकर्ता विगत में किए गए अनुसंधानों से परिचित होना।
2) इसके पूर्व किए जा चुके अनुसंधानों से आवश्यक सीख लेने में शोधकर्ता की सहायता करना।
3) प्रस्तुत अनुसंधान प्रदत्त सूचना संकलन के लिए स्त्रोत के रूप में कार्य करता है।
4) शोधकर्ता को साहित्य पुनरावलोकन के द्वारा उपलब्ध डाटा के विश्लेषण व्याख्या से अनुसंधान परिणामों पर पहुँचने में आवश्यक मदद करता है।

साहित्य पुनरावलोकन की आवश्यकता:-

विषय में किस तरह से शोध कार्य पूरा किया है, कौन-सी पद्धति का उपयोग हुआ है, उस निष्कर्ष को आप पूरी तरह से समझे, एक तरह से उस पूरे शोध कार्य, लेख, किताब में लिखी बात उन सभी का जो शोध के विषय से संबंधित है उनका मूल्यांकन करें। उसके बाद जिस विषय पर आप शोध करना चाहते है, उसमें नए विचार उस विषय कैसे संबंधित है, उसे निश्चित करे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्य का पुनरावलोकन आवश्यक है। किसी भी विषय में शोधकर्ता के विचार उस साहित्य से किस तरह से जुड़ रहे है, पूर्व शोध से जुड़ा है पर यह उस शोध से कैसे अलग है, शोधकर्ता कैसे अपने विषय को उस साहित्य से समझने की कोशिश करता है।

बालश्रम कानून अपराध और बाल भिक्षाटन :-

परिचर्चा , दिसम्बर 2016 , द वेक

आर्थिक रूप से कामजोर माता-पिता अपने बच्चों को कार्य पर नहीं लगा सकते क्योकि ये अपरद हैं | शिक्षा के लिए सैकड़ों स्कूल होने के बावजूद भी बच्चे मिड-डे-मिल तक ही टिकते हैं | एन. जी. ओं. की मड्ड के बावजूद भी बच्चे शिक्षा से मुह चुरा रहे है क्यों ?

राज मिठौलिया, वरिष्ठ पत्रकार -

भीख मांगते बच्चे किसे नाही दिखाई देते, सभी आते-जाते देखते है किन्तु इस पर न आवाज़ उठाई जाती है नही ही कोई कार्यवाई होती हैं | मानवाधिकार वाले तमाम मुद्दों को उठाते है लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नाही देता | इन बच्चों के नाम पर कई संस्थाये चल रही है जिन्हे सरकार से पैसा मिलता है लेकिन वे भी इसे रकने के लिए कोई पहल नहीं करते न इसे गंभीरता से लेती हैं | एक बार मै मुर्शिदाबाद किसी कार्यक्रम के सिलसिले में गया था वहां कार्यक्रम का आयोजन एक खुले प्रांगण में था | वहां मैंने देखा कि तमाम नंगे-अधनंगे बच्चे घूम रहे थे ये देखकर हमें बड़ी तकलीफ हुई कि उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजको के वे बच्चे क्यों नाही दिखाई दिये | चूंकि हम इन्हे और इस ज्वलंत विषय को गंभीरता से नहीं लेते उसी का परिणाम कि विदेशों से आने वाले विदेशी इनकी तस्वीरें उतार कर अपने देश ले जाते है और भारत की छवि को प्रसारित कर भारत को निर्धन देश बताते हैं | हमारे देश की विडम्बना है की यहांपर हर गलत कार्य करने वालों या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने वालों के टार ऊपर तक जुड़े रहते है जिसकी वजह से कोई इन पर हाथ डालना चाहता | लेकिन अगर आप पंजाब जाए तो चंडीगड़ में बच्चे तो बच्चे बड़े भी भीख मांगते दिखते नाही दिखेंगे | क्योकि वहां जागरूकता पूरे भारत होनी चाहिए ताकि कोई भी बड़ा या सम्मान को बेचने वाला कार्य न करे |

सूफिया यास्मिन –

प्राध्यापक नैदट्टी कॉलेज

कोलकाता में बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति आम बात हैं | फुटपाथ पर रहनेवाले कुछ बच्चे भिक्षावृत्ति पेट भरने के लिए काम करते है बल्कि ये उनकी आदत बन गई हैं | क्योकि, इसके लिए उनके माता-पिता उन्हे प्रत्साहित करते है और माता-पिता का ये पेशा हैं | जो बच्चा अभी ठीक से बोलना भी नहीं जनता, चलना नहीं जनता उसके हाथ में भी कटोरा थमा दिया जाता हैं | वो फूटपथ पर आने वाले की उंगली पकड़ेगा, कपड़ा पकड़ेगा, ना चाहते हुए भी बच्चे की भोली सूरत देखकर कटोरे में पैसा दल देता हैं | बगल बैठे माँ-बाप को पकड़ा सेता हैं | भीख मांगते बच्चे मौलवी, ईटाली, बाबूघाट काही भी देके जा सकते हैं | बाबूघाट से हावड़ा की तरफ जानेवाली लांच में अक्सर कुपोषण के शिकार छोटे बच्चे सवारियों के सामने हाथ फैलाते नजर आ जायेंगे | और उसी लांच

के एक कोने में उनकी हट्टी-कट्टी माँ आराम से बैठी उन लोगो पर नज़र रख रही दिखेगी | लोकल ट्रेन और बस में बच्चे दो पत्थरो को बजा-बजाकर बेसुरा गाना गाते हुए भीख मांगते मिलेंगे | उनकी माताये लिपस्टिक लगाए, आइब्रो बनाए अच्छे कपड़े पहने हुए बिलकुल अप-टू-डेट मिलेगी बस यह दिखने के लिए कि वे भिक मांगती है ऊपर से एक फटा चादर डाल लेती हैं | इन ब्ल्हिक मांगने वालों के बाकायदा अड्डे है जहां इन्हे किसी चीज की कोई कमीनही हैं | दानदाता, संस्थाएं भरी पड़ी है जो इन्हे इनकी जरूरतों के अनुसार सुविधाये उपलब्ध करती हैं | इन लोगों का इतना मिजाज है कि अगर घर में किसी फंक्शन या त्योहार के समय खाना बच गया और आप ये खाना इन लोगों को दे दें तो ये लेते नाही है बल्कि मुँह पर बूल देते है कि आपने हमें दावत दी थी क्या जो हम ये खाना ले | मतलब अगर आप इन्हे एक दो दिन पहले दावत देंगे तो ये खाना लेंगे | अपंग लोगों ने तो धन्दा बनाया ही है लेकिन इस धंदे के साथ ये मारने-पिटने पर आमदा हो जाते हैं | मै रोजाना लोकल ट्रेन में आनाजाना करती हू | नये के साथ इतना बुरा बर्ताव करते है कि अभी उसे मारेंगे ,धक्का देंगे | अंतः हम यही कहना चाहेंगे कि इसे जल्द से जल्द रोकने कि व्यवस्था की जाए अन्यथा आनेवाले दिनों में ये संक्रमन का रूप ले लेगा जिसे रोकना मुश्किल ही नाहीं नामुमकिन हो जायेगा |

पंकज केडिया, समाजसेवी -

द वेक ,दिसम्बर 2016

हमारे समाज में हर कोई मेहनत से मजदूरी करके सम्मान से रोटी नहीं खाता बल्कि कुछ लोग ऐसे भी है जो आसान कमाई चाहते है और उनमें सेव भीख मांगने वाले भी हैं | उनके लिए इज्जत बड़ी नहीं है पैसे बड़ी चीज हैं | ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके इसलिए वे अपने बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं | बहुत बार मजबूरी भी होती है जैसे की परिवार का मुखिया दारू पीकर पड़ा रहता हाइऔर पत्नी-बच्चों को घर चलाने के लिए भीख का सहारा लेना पड़ता हैं | कितनी जगह बच्चे भीख नहीं मगना चाहत लेकिन उन्हे जबरदस्ती इस धंदे में धकेला जाता है जैसे एक किस्सा मेरे सामने आया | गणेशचन्द्र अवेनुए में एक अंधा लड़का भीख मांगता था | एक बार मैंने उसे अपने आफिस में बुलवाया और पूछा की तुम भीख क्यों मांगते हो ? उसने कहा की उसे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती भीख मंगवाती हैं | मैंने उसकी माँ से बात की स्कूल में डालो वहां ये पढ़ेगा तो जवाब आया गणेशचन्द्र एवेन्यू से उत्तरपाड़ा बहुत दूर है जहां पर ब्लाईंड स्कूल है, मै दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हू इसका भाई भी छोटी-मोटी नौकरी करता है, इतनी दूर पढ़ाई के लिए इसे रोज कौन लाना-लेजाना करेगा, ऐसे से भीख मांगकर तीन-चार सौ कमा लेता हैं | ऐसे में आप क्या समझा सकते है इसके लिए लोगों में सही सोच को विकसित करने की आवश्यकता हैं | क्योकि, कानून से कुछ भी खतम नहीं होता भीख मांगना अपराध है लेकिन कुछ करते नहीं क्योंकि करने के लिए पहल करनी होगी और इसे गंभीरता से लेना होगा तभी ये बंद हो सकता हैं |

माला तिवारी -

समाज सेविका , इंदोर

बालश्रम पर मैंने बहुत काम किया है की, बहुत जगह इनकी माली हालत ठीक नहीं होते है तो बहुत बाद उन्हे जबर्दस्ती इस पेशे मेन धकेला जाता हैं | हालांकि इसके लिए कानून बना है लेकिन अमल मेन नहीं है काफी कुछ पेपरों तक ही सीमित रह गया हैं | सरकार ने इनकी सुविधा के लिए रैन बसेरा, भोजन व्यवस्था कर रखी है फिर भी ये भीख मांगते है और अपने बच्चों से भी मंगवाते हैं | हां ये ठीक है की पहले की अपेक्षा भीख मांगना कम हुआ है अब कुछ समुदाय ही इस तरह के कार्य करते है, उन पर नजारे रखने की आवश्यकता है लेकिन सभी अपने आप मेन इतने मशगुल है कि किसी के पास समय नहीं है भीख मगने जैसे निम्म कार्य को रोकने का | वैश्यावृति करने वालों के बच्चों के लिए स्कूल है उनके बच्चे वहां पढ़कर नौकरी मेन लग रहे हाइक्योकि उनकी माताए नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनके पेशे से जुड़े | लेकिन भिक्षावृत्ति करने वाले अधिकतर बच्चों के पिता दारू पीकर सड़क पर धुत रहते है और उनकी दारू का पैसा भी उनकी पत्निया तथा बच्चे देते हैं | बहूतों ने इसे आसानी से पैसा कमाया जाने का धन्दा बना कलैया है दिल्ली में चौराहों पर गर्भवती महिलाये खड़ी रहती है गाड़ीवालों को लिफ्ट मांगती है अस्पताल पहुचाने के लिए या पांच सौ रुपये टॅक्सी भाड़ा मांगती हैं | गाड़ी वाले अपनी जान बचाने के लिए उन्हे पैसे दे देते हैं | दूसरी अहम बात जो इन्हे भीख मांगने के लिए उकसित करती है वो हाइ हमारे दानदाता | हम लोगों के धर्म में दान करना आवश्यक है इसलिए सभी कुछ न कुछ दान करते है जो भीख मांगने वालों को प्रोसाहित करती हैं | इंदोर अमीरों का शहर है, सर्दी भर इन लोगो को कम्बल उनी वस्त्र बांटे जायेंगे और ये उसे उपयाओ में लेने के बजाय दूसरे ही दिन बिक्री कर देते हैं | मध्यप्रदेश सरकार ने बच्चों कि पढ़ाई अनिवार्य कर दी है प्रत्येक बच्चा अपने क्षेत्र में बने स्कूल से पढ़ेंने जयंगे जहा उसे खाने-पीने कि सुविधा मिलेगी जो गरीबी रेखा के नीचे है उन्हे सौ रुपये में पांच किलो चावल दुआ किलो गेहू, एक किलो दाल एक किलो तेल और एक किलो चीनी मिलती हैं | उसमें से भी कितने लोग है जो अपने मिले हुए समान को बेच देते हैं | दर असल सोच में ही खोट है, ज्यादा से ज्यादा पाने कि लालसा और शारीरिक आराम सही दिशा में बढ़ने नहीं देता | इस तरह कि बुराइयों पर रोक तभी लग सकेगी जब जागरूकता आएगी और प्रत्येक इंसान अपने बच्चों को शिक्षा दिलवायेगा सही शिक्षा ही भीख मांगने जैसे घृणित कार्य पर लगाम लगा सकती हैं | दांडताओ को भी इस दिशा में आगे आने की जरूरत हैं | वे भीख मगने वालों को पैसा न बांटे बल्कि इस तरह की संस्था बनाये जो अपने क्षेत्र के भीकरियों में जागरूकता पैदा करे और उनके लिए कार्य की व्यवस्था करे तथा उन्हे सम्मान से रहना सिखाये तभी हमारे समाज का सुधार हो सकेगा |

बाल श्रम : एक सामाजिक समस्या और समाज -

सुशील कुमार सिंह , द वेक , दिसम्बर 2016

सामाजिक-आर्थिक बदलाव के इस दौर में काफी कुछ बादल रहा है , बावजूद इसके कई मामले स्तरीय सुधार से वंचित है जिनमें बलश्रम भी शामिल हैं | वैश्विक स्तर पर बाल श्रम की जों अवस्था है वही कहीं अधिक चिंताजनक हैं | भारत में कैलाश सत्यार्थी के प्रयास सराहनीय है जिसके लिए उन्हे 2015 का नोबेल सम्मान मिला हैं | सरकार के स्तरपर देखे तो स्वतंत्रता के बाद बलश्रम को लेकर कुछ चिंताए उजागर हुई हैं| वर्ष 1979 में ऐसी समस्याओं के अध्ययन के लिए गुरुपाद स्वामी समिति बनाई गयी थी जिसकी सिफ़ारिश पर बालश्रम (निषेद एवं विनियम) अधिनियम 1986 लागू किया गया | 1987 में बालश्रम पर नीति का भी अमलीजामा दिया गया था | 1990 में 'राष्ट्रिय श्रमिक संस्थान'को मूर्त रूप दिया | फिर भी बचपन बाल-श्रम के चक्रव्यूह से भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया | बालश्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंदर होता हैं |' बालश्रम बालकों कॉ उन मूलभूत आवश्कताओं से वंचित करता है जिस पर उनका नैसर्गिक अधिकार होता है, साथ ही बालश्रम भौतिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी बाधित करता हैं |' इस संदर्भ में कई परिभाषाए हैं | बालश्रम विश्व में एक ऐसी समस्या है जिसके निदान के बगैर बेहत्तर भविष्य की कल्पना संभव नहीं हैं |

यह स्वयं में एक राष्ट्रिय और सामाजिक कलंक है ही, अन्य समस्याओं की जननी भी हैं | देखा जाएतो यह नौनिहालों के साथ जबरण होनेवाला व्यवहार है जिससे राष्ट्र या समाज का भविष्य खतरे में पड़ता हैं | यह एक संवेदनशिल मुद्दा है, जों लगभग सौ वर्षों से चिंतन और चिंता का मुद्दा हैं |

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर 1924 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जीनेवा में घोषणापत्र में बच्चों के अधिकारों को मान्यता देते हुए पाँच सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई | भारतीय संविधान में बल अधिकार के संदर्भ में कई प्रावधान है जों बालकों कॉ नैसर्गिक न्याय प्रदान करते हैं | अनुचेड़ 21 (क) शिक्षा का मौलिक अधिकार देता हैं | जबकि नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है की 6 से 14 वर्ष तकके बालकों कॉ राज्य निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा | इतना ही नहीं, अनुचेड़ 51 (क) के तहत मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत यह प्रावधान भी 2002 में लाया गया कि अभिभावक उन्हे अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलायेगे | अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाल–श्रम कॉ बच्चे के स्वास्थ कि क्षमता उस की शिक्षा कॉ बाधित करने और उसके शोषण के रूप में परिभाषित किया हैं | वैश्विक पटल कि पड़ताल करे तो बच्चों कि स्थिति काही अधिक चिंताजनक हैं | बालश्रम कि जंग बहुत पुरानी हैं | मार्क्सवादी नजरिए से देखे तो बालश्रम का रोग औधोगिक क्रांति के शुरुआती दिनों से ही देखा जा सकता हैं | अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों की ताज़ा रिपोर्ट का मनना है कि 140 देशों में 71 देश ऐसे है जहा बच्चो से मजदूरी कारवाई जाती हैं | इन देशों में भारत भी शामिल हैं | नन्हें हाथों में बीड़ी, पटाखे, माचिस, इंटे, जूते यही सभी दिखाई देते हैं | कालीन बुनवाने, कढ़ाई करवाने, रेशम बनवाने के काम चौकने वाला

सच यह है कि रेशम के टार खराब नहीं, इस मकसद से बच्चों से ही काम करवाया जाता हैं | 'फ़ाइंडिंग्स ऑन द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर' नाम कि एक रिपोर्ट ने ऐसी बातों का खुलासा करते हुए सामने लाया | विकासशील देशों में बल श्रमिक सबसे अधिक हैं | एशिया और अफ्रीका के कई देशों में यह भयावह रूप में प्रस्तापित हुए हैं | भारत के बाद बांगलादेश, फिलीपींस के नाम भी इस सूची में है | भारत में स्टील फर्नीचर, चमड़े, जूते का काम, केला, नारियल, तंबाकू, गहने और अश्लिल फिल्मों के इस्तेमाल होने वाला सामान इन्ही से बनवाया जाता हैं |

कुल श्रम शक्ति का पाँच प्रतिशत बाल श्रम ही हैं | 1992 में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा था कि अपनी आर्थिक व्यवस्था कॉ देखते हुए इस दिशा में रुक-रुक कर कदम उठायेगे, क्योकि इसे एकदम रोका नहीं जा सकता | तेईस बरस बिताने के बाद आज भी हमारा देश मजदूरी पर अड़ा पड़ा हैं |

साहित्य पुनरावलोकन किसी भी शोध का एक महत्वपूर्ण चरण होता हैं | शोध को नई दृष्टि साहित्य पुनरावलोकन से विकसित होती हैं | शोध समस्या में अब तक किये गये अध्ययनों एवं क्रियाकलापों के संबंध में पूर्व ज्ञान प्राप्त होता हैं | समस्या की अलग-अलग पृष्ठभूमि से अवगत होते हैं | प्रस्तुत शोध गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बालकों के अधिकार की स्थिति, उसकी वास्तविकता का अध्ययन है, इस संदर्भ में बालकों के अधिकारों से जुड़े उन तमाम बल अधिकार अधिनियम, योजना व अन्य घटनाओं को साहित्य पुनरावलोकन के अंतर्गत उल्लेखित किया गया हैं |

इस भाग में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989 से लेकर सभी बाल न्याय अधिनियम व संबन्धित योजनाओं को प्रमुखता से बताया गया हैं | इसके साथ ही शोध विषय के प्रमुख बिन्दु बाल अधिकार व अधिनियम के विरुध्द हो रही घटनाओं (बालश्रम, बालपराध, बालकों के साथ किये जा रहे अपराध, शारीरिक एवं मानसिक शोषण) से जुड़ी रिपोर्टों व अन्य जानकारियों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को स्थान दिया गया हैं |

मोदी सरकार ने कर दिया बालश्रम का कानूनीकरण : कैलाश सत्यार्थी

छात्र विमर्श, छात्र चेतना और संकल्प का प्रतीक हिन्दी मासिक, जून 2015

भारत ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के बालधिकार समझौतों की धारा 32 पर सहमती नही दी है, जीसमें बालमज़दूरी को जड़ से खत्म करने की बाध्यता हैं | 1992 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह जरूर कहा था कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हम बाल मजदूरी को नहीं जा सकता हैं | 1992 से 2017 तक का समय 25 साल का होता हैं | इसके बाद भी हम बालमज़दूरी तो खत्म नहीं कर पाय हैं, उलटे केन्द्रीय कैबिनेट ने बाल श्रम पर रोक लगाने वाले कानून को नरम बनाने को मंजूरी दे दी हैं | इस पर अंतिम मूहर संसद में संशोधित बिल पास होने के बाद लगेगी | इसमें सबसे विवादास्पद संशोधन पारिवारिक कारोबार या ऊधमों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में संलग्न 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बालश्रम के दायरे से बाहर रखने से हैं |

यह संशोधन एक तरह से बाल श्रम को आंशिक रूप से कानूनी मान्यता देता है, हालांकि इसमें यह पुछल्ला भी जोड़ दिया है कि ऐसा करते हुए अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो और उसकी सेहत पर कोई विपरीत असर न हो | इसके अलावा संशोधन में माता –पिता के खिलाफ दंडात्मक कारवाई के प्रावधान में ढील और खतरनाक उधोगों में 14 से 18 साल की उम्र तक के किशोरों के काम पर भी रोक लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं | इस संशोधन को लेकर विशेषज्ञों और बाल अधिकार संगठनों की चिंता है कि इससे बच्चों के लिए स्थितियाँ और बदतर हो जाएगी, क्योकि व्यावहारिक रूप से यह साबित करना मुश्किल होगा कि कौन-सा उधम पारिवारिक है और कौन-सा नहीं हैं | इस के आड़ में घरोंकी चारदीवारी के भीतर चलाने वाले ऊधमों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूर के तौर पर झोंके जाने की संभावना बढ़ जायेगी, लेकिन इस दिशा में मोदी सरकार का यह पहला कदम नहीं है, इसी साल जून में सरकार द्वारा 'फक्टरी अधिनियम' और 'न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम' में संशोधन की घोषणा की गई है, जो नीयोक्ता को नहीं माता-पिता को देने की वकालत करता हैं |

2011 की जनगणना के आन्सर भारत मेन 5 से 14 साल के बच्चों की कुल आबादी 25.96 करोड़ हैं | इनमें से 1.01 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं | इसमें 5 से 9 साल उम्र के 25.33 लाख बच्चे और 10 से 14 वर्ष की उम्र के 75.95 लाख बच्चे शामिल हैं | राज्यों की बात करे तो सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश 21.76 लाख में है, जब की दूसरे नंबर पर बिहार है जहां 10.88 लाख बाल मजदूर हैं | राजस्थान में 8.48 लाख, महाराष्ट्र में 7.28 लाख तथा मध्य प्रदेश में 7 लाख बाल मजदूर हैं | यह सरकारी आंकड़े है और यह स्थिति तब है जब 14 वर्ष से कम के बालक श्रम की परिभाषा के दायरे में शामिल थे, वैश्विक स्तर पर देखें तो सभी गरीब और विकासशील देशों में बाल मजदूरी की समस्या हैं |

इसकी मुख्य वजह यही है कि मालिक सस्ता मजदूर चाहता हैं | अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एनई पीयूआरई विश्व में 130 देश ऐसे चीजों कि सूची बनाई है जिन्हे बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता हैं | इस सूची में सबसे ज्यादा 20 उत्पाद भारत में बनाए जाते हैं | इनमें बीड़ी, पटाखे, माचिस, ईंटे, जूते, काँच कि चूड़िया, तले, इत्र, कालीन, कढ़ाई, रेशम के कपड़े और फूटबाल बनाने जैसे काम शामिल हैं | भारत के बाद बांग्लादेश का नंबर है जिसमें 14 ऐसे उत्पादों का जिक्र किया गया है, जिनमें बच्चों से काम कराया जाता हैं |

उदारीकरण के बाद असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काफी बदलाव आया है, काम का साधरिकरण हुआ हैं | अब बहुत सारे ऐसे घरेलू काम दायरे में आ गाये है जो वास्तव में इंदुस्ट्रियल है, आज हमारे देश में बड़े स्तर पर चोत्ये घरेलू धंधे और उत्पादक उधोग असंघठित क्षेत्र में चाल रहे है, जो संघठित क्षेत्र के लिए उत्पादन कर रहे हैं | जैसे बीड़ी उधोग में बड़ी संख्या में बच्चे काम कर रहे है, लगातार तंबाकू के संपर्क में रहने से उन्हे उसकी लत और फेफड़े संबंधी रोगों का खतरा बना रहता हैं | बड़े पैमाने पर अवैध रूप से चल रहे पटाखों और माचिस के कारखानों में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे होते है जिन्हे दुर्घटना के साथ-साथ सांस की भी बीमारी के

खतरे बने रहते हैं | इसी तरह चुड़ियाँ निर्माण में बाल मजदूरों का पसीना होता है जैसे 1000-1800 डिग्री सेल्सिअस के तापमान वाली भट्टियों के सामने बिना सुरक्षा के बच्चे काम करते हैं | देश के कालीन उधोग में लाखों बच्चे काम करते हैं |

विडम्बना देखिए अभी पिछले साल ही बाल मजदूरी के खिलाफ उल्लेखनीय काम करने के लिए 'कैलाश सत्यार्थी' को नोबल पुरस्कार मिला जिनका कहना, "बच्चों से उनके सपने छीन लेने से और ज्यादा गंभीर अपराध क्या हो सकता है और जब बच्चों को उनके माता-पिता से जुड़ा कर दिया जाता है, उन्हे स्कूल से हटा दिया जाता है या उन्हे तालिम हासिल करने के लिए स्कूल जाने की इजाजत न देकर काही मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है या सड़कों पर भीख मांगने के लिए मबूर किया जाता है, ये सब तो पूरी इंसानियत के माथे पर धब्बा हैं |" लेकिन ऐसे लगता है कैलाश सत्यर्थी की वह आवाज़े अभी भी हमारे नीति निर्माताओं की कानों तक नहीं पाहुची हैं | बालश्रम निषेद और नियमन कानून में संशोधन बलश्रम और शोषण को परिसीमित करने के बजाय उसे बढ़ावा ही होगा |

गरीबी रेखा क्या हैं ?

भारत में गरीबी को अर्थव्यवस्था के आयामों और लक्षणों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जा सकता है जो अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्धारित कर दिये गये हैं | भारत गरीबी के स्तर पर उपभोग और आय दोनों के आधार पर निर्णय लेता हैं | उपभोग का मापन मुद्रा के उस भाग से किया जाता है जो लोगों द्वारा घर की आवश्यक चीजों पर खरीदने पर व्यय किया जाता है और आय की गणना विशेष व्यक्तियों द्वारा कमाई जाने वाली आय के अनुसार होती हैं | एक अन्य अवधारणा है जिसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, वो है गरीबी रेखा की अवधारणा ये गरीबी रेखा,भारत के साथ ही अन्य राष्ट्रों में गरीबी मापन के मानक के रूप में कार्य करती हैं | गरीबी रेखा, आय के न्यूनतम स्तर के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है, जो एक परिवार के जीवनयापन के लिए आवश्यक आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी होती हाईण | 2014 के अनुसार,गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन और कस्बो और शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन खर्च निर्धारित किया गया हैं |

अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री रेगनर नक्शेके अनुसार, 'एक देश इसलिए गरीब है क्योकि वो गरीब हैं |' इस कथा के अनुसार इस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता की और संकेत करता है कि गरीबी एक धुश्चक्र हैं | इस चक्र में बचत कम होती हैं जो निवेश का क्षेत्र कम करता है जिसके कारण फिर से आय कम होती है और ये दुश्चक्र उसी प्रकार चलता रहता हैं |

भारत में गरीबों की जनसंख्या पर अधिकारिक आंकड़े माने तो 2004-05 में 40.74 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे ये घट कर 2011-12 में 27 करोड़ हो गए, उत्तर प्रदेश 5.98 करोड़, बिहार 3.58 करोड़, मध्य प्रदेश 2.34 करोड़, महाराष्ट्र 1.97 करोड़, गुजरात 1.84 करोड़ गरीब हैं |

भारत मे गरीबी की संख्या पर विभिन्न अनुमानों के अनुसार यह आंकड़ा 77 प्रतिशत तक जाता हैं |

मई मेन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट मेन सामने आया कि गरीबी रेखा से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त साबित नहि हुए (2011)रिपोर्ट में कहा गया की भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन कि वजह से गरीबी के लिए बनी सकरी योजनाए सफल नहीं हो पाई हैं |

योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को गरीबी का एक सूचक माना है और इस सूचक को दो कसोटियो पर रखा जाता हैं -

1) कैलोरी का उपयोग और
2) कैलोरी पर खर्च होने वाली न्यूनतम आय

इन कैलोरियों को दो अवधारणाओं में प्रस्तुत किया जाता हैं –

1) गरीबी की रेखा, 'आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकते है, वह गरीबी की रेखा हैं |'
2) गरीबी की रेखा के नीचे, ' वे लोग जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं को अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते, गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं |'

वास्तव में, गरीबी रेखा वह सीमा है जिसके नीचे जाने का मतलब है जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी सुविधाओं, सेवाओं और अवसरों का अभाव |

यह वह अवस्था है जिसमें आकर व्यक्ति के जीवन पर संकट और दु:खों की संभावना पूर्ण हो जाता हैं | जिस सीमा को सरकार गरीबी की रेखा कहती हैं. उसे परिभाषित करने के लिए मानदण्डों के आधार पर यह तय होता है कि किसका जीवन संकटमय परिस्थिति में बीत रहा हैं | पिछली बार गरीबी रेखा का सर्वेक्षण वर्ष 1997-98 में हुआ था | हाल के आकलनों और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर पता चलता है कि विगत अवसरों पर वास्तविक गरीबी की पहचान नहीं की गई और उनके नाम बीपीएल सूची में नहीं आ पाये | जिसके कारण उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया |

व्यवस्था का कहर भी मूलतः गरीबों पर ही टूटता हैं | ज्यादा तर कानून जैसे वन कानून, श्रम कानून, और जमीन अधिग्रहण कानूनों का नकारात्मक प्रभाव आम तौर पर गरीबी से जूझ रहे समुदायों पर ही नज़र आता हैं | एक और वैसे ही जंगल कम होते जा रहे इस के कारण ग्रामीणों की दैनिक आजीविका के साधन सीमित हों रहे है

दूसरी ओर कानून भी अपना जाल फेंकने से नहीं चुकता हैं | इसी तरह वन विभाग कि अधिकारी और पुलिस की प्रताड़ना भी गरीबों को सबसे ज्यादा इन्ही लोगों को सहनी पड़ती हैं | खास करके जंगलों पर जीवनयापन करने वाले आदिवासी, अनुसूचित जाती तथा अल्पसंख्यक परिवार समानोसे से अपनी जीविका चलते है, शहरों में कचरा बीनने वालों पर चोरी का आरोप भी पुलिस प्रताड़ना के शिकार होते हैं |

1) अर्थशास्त्र: 32 रूपय में गुज़ारा ....

योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खान पान पर शहरो में 965 रूपये और गाव में 751 रूपय प्रति महीना खर्च वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जा सकता | गरीबी रेखा की नयी परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा कि इस तरह शहर में 32 रूपये और गाव में 26 रूपये खर्च करने वाला व्यक्ति बी.पी.एल सुविधा पाने का अधिकार नहीं है |

अपनी यह रिपोर्ट योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर दी है | इस रिपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए है | आयोग ने गरीबी रेखा पर नया क्रायटेरिया सुझाते हुए कहा कि दिल्ली, मुंबई, बंगलोर और चेन्नई में 4 सदस्यों वाला परिवार यदि महीने में 3860 रूपये खर्च करता है, तो वह परिवार गरीब नहीं कहा जा सकता | इस हास्यापद परिभाषा पर हो-हल्ला मचना शुरू हो चुका है |

आयोग की माने तो स्वास्थ सेवाओ पर 39.70 खर्च करे तो आप स्वास्थ रह सकते हैं | आपको शिक्षा के संबंध में 99 पैसे प्रतिदिन खर्च करने पर बिलकुल भी गरीब नहीं माना जा सकता है| यदि आप 61.30 रूपय महीने वार 9.6 रूपय चप्पल और 28.80 रूपय वायक्तिगत वस्तुओ पर खर्च करते है तो आप आयोग की नज़र में गरीब नहीं कहे जा सकते हैं |

2) योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत गरीबी रेखा की अवधारनों को कृषि क्षेत्र के नजरिये से विश्लेषित करते हुए – डॉ. देविंदर शर्मा

एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सर्वोच न्यायालय ने गरीब की गिनती पर बेहद बुनियादी सवाल उठाए है | यह महसूस करते हुए गरीबी रेखा नज़रअंदाज़ की जा रही है | न्यायालय ने यह काम संभव किया है जिससे अंजाम देने में हमारे अर्थशास्त्री हाल के वर्षो में अंजाम देने में विफल रहे है |

सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे का बचाओ करते हुए योजना आयोग की उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहुवालिया को इसकी कैफियत देने में कई पीड़ा हो रही है कि कोंग्रेस के भीतर और बाहर गरीबी के विवादित आंकड़े को "अवांछित" क्यों बताया जा रहा है ? लेकिन अगले दिन टी.वी चैनलों पर भरी मजमे के बीच इसको कैफियत देने की कोशिश की इसमें एक बात जो स्पष्ट थी, वह यह गरीबी रेखा को जानबूझकर नीचे रखते हुए अर्थशास्त्री और योजनाकार वास्तव गरीबो से छल कर रहे थे | आहवालिया ने कहा 'वास्तव में यह 1973-74 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे वालों का जीवन स्तर था' | उन्होने महवार खर्च की रकम को नीचे रखने पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि यह केवल 'गुज़र बसर का निम्नतम स्तर को परिलक्षित करने के लिए था |'

दुर्भाग्य से गरीबी के गड़बड़ अनुमान विकास की तमाम रणनीतियों और कार्यक्रमों की बुनियाद बना दिये गये हैं | ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के 64 साल बाद भी गरीबी अपनी पूरी हनक के साथ बनी हुई हैं | इस पूरे प्रकरण में यह मसला मीडिया के आंखो से भी ओझल हो गया है कि योजना आयोग शहरी इलाके में रोजाना 17 रुपये और ग्रामीण इलाके में 12 रुपये प्रतिदिन मानक मानता हैं |गरीबी रेखा तय करने कि विभिन्न समितियों और उनके आंकड़ों के गड़बड़ अनुमानों पर आधारित है और इसलिए भी वह गरीब या असमानता मिटाने के काम पर सकारात्मक असर छोड़ने में विफल हो गई हैं |

यू एन डी पी के मानक 10 हैं | सोनिया गांधी कि अध्यक्षता वाली सलाहकार परिषद (एन ए सी) ने सीधे 50 प्रतिशत आबादी को गरीब होने का अनुमान लगाया | एन ए सी की बी पी एल अर्हता के गलत पैमाने को मानने के लिए उतनी ही कसूरवार हैं | इसमें कभी गरीबी तय करने के दोषपूर्ण नियमों, मानकों पर सवाल नहीं उठाए | इस मुद्दे पर मौजूदा जन विरोध को देखते हुए बीच बहस में उन कामों के श्रेय लूटने कि गरज से कूद पड़ी जो वस्तुतः कभी उसने किया ही नहीं |

गरीबी रेखा की नहीं, अमीरी की रेखा का निर्धारण हो – सुनील

http://kashivishwavidhyalay.wordpress.com)

भारत सरकार के प्रस्तावित खाध सुरक्षा बिल (विधायक) ने देश में एक बहस छेड़ डी हैं | सरकार ने इस खाध सुरक्षा का मतलब सस्ती दरों पर खाधानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से माना है और इसे वह गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों तक सीमित करना चाहती हैं | राज्य सरकारों को लिखे एक पत्र में भारत सरकार के खाध मंत्रालय ने यह भी कहाँ है कि ये सरकारें अपने मर्जी से गरीबों कि संख्या बढ़ाना तथा बीपीएल राशन कार्ड बांटना बंद करें और योजना आयोग द्वारा हर प्रांत के लिए तय की गई गरीबों की संख्या पर ही काम करे और कायम रहें |

पत्र में इस बात पर चिंता जाहीर की गई कि योजना आयोग के अनुसार देश में 6.52 करोड़ गरीब परिवार होने चाहिए, लेकिन देश में 10.68 करोड़ बीपीएल कार्ड हो गये है, यानि 4.16 करोड़ कार्ड ज्यादा हैं | गरीबी के नए अनुमानों के मुताबिक तो देश में अब बीपीएल कार्डों कि संख्या 5.91 करोड़ ही होनी चाहिए |

यदि शरद पवार के मंत्रालय कि चली, तो देश के गरीबों की जिंदगियों पर यह एक और हमला होगा | योजना आयोग के आंकड़ों में तो देश की गरीबी कम होती जा रही है और विकास व प्रगति की उजली तस्वीर उभरती हैं | इनके मुताबिक 73-74 में 55 प्रतिशत लोग गरीब थे, जो 1983 में घटकर 44 प्रतिशत, 1999-2000 में 26 प्रतिशत, 2004-05 में 27.5 प्रतिशत हो गये |

योजना आयोग का आकलन सत्तर के दशक में न्यूनतम कैलोरी उपभोग पर आधारित हैं | जो 2400 कैलोरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति) बाल व्यक्ति गरीबी मान लिया गया |

बाद के वर्षो मेन उसी आय को कीमतों के सूचकांक में वृद्धि के अनुपात को बढ़ाया जाता हैं | लेकिन इस बीच साधारण भारतवासी के ब्वाजात में अन्य वस्तुओं सेवाओं के खर्च व उनकी कीमतों में काफी वृद्धि हुई, जिसे योजना आयोग ने नज़र अंदाज़ कर दिया | इसका नतीजा यह हुआ कि बाद के वर्षो में सरकारी गरीबी रेखा वाली आय के परिवार अब पहले से काफी कम कैलोरी भोजन कर रहे थे | उनके भोजन में कटोती हो गई हैं |

यदि निर्धारित 2400 (ग्रामीण) और 2100 (शहरी) कैलोरी भोजन करने वाले परिवारों की आय निकाली जाए तो वह अब सरकारी गरीबी रेखा से लगभग दुगुनी होगी | देश में गरीबों का प्रतिशत 27.5 के स्थान पर 75.8 हो जाएगा | स्पष्ट है की 48 प्रतिशत से ज्यादा आबादी या 54 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर रखकर सरकारी योजनाओं व मदद से वंचित किया जा रहा हैं |

डॉ उत्सा पटनायक जैसे कई मू धरण अर्थशास्त्रियों ने उस विसंगति को बार-बार उजागर किया हैं | लेकिन लगता है की योजना आयोग जान बुझकर आंकड़ों का घपला निरंतर जारी रखना चाहता है, ताकि सरकार की ज़िम्मेदारी कम रहे, विकास का भ्रम बना रहे और अंतर्राष्ट्रीय ताकते भी यही चाहती हैं |

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डॉ एन. सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गरीबी को चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था | इस का अंतरिम रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण दोषपूर्ण हैं | इसके पहले अर्जुन सेनगुप्ता अध्यक्षता के अध्यक्षता में बने असंगठित क्षेत्र आयोग ने भी बताया था कि देश की 77 प्रतिशत आबादी या 83 करोड़ लोग 20 रुपये रोज से नीचे गुजर करते हैं | इसे ही गरीबी का अच्छा आकलन व त्रुटिपूर्ण निर्धारण के पीछे एक राजनीति भी हैं | इससे देश के गरीबों की बड़ी संख्या को किसी भी प्रकार की सरकारी मदद से वंचित किया जा सकता हैं | साथ ही गरीबों को आपस में बता व उलझाया जा सकता हैं | देश के गावों और शहरी झोपड़पट्टियों के गरीब लोग इसी मुद्दे पर उलझते रहे की फलां का नाम कैसे गरीबी रेखा के सूची में है और उनका नाम क्यों नहीं हैं | आपसी द्वेष और द्वंद भी पैदा होता हैं | कई समझदार लोग भी मान लेते है कि भ्रष्टाचार एवं गलत लोगों के नाम इस सूची में शामिल, होने से समस्या पैदा होंगी |लेकिन कुछ संपन्न लोगों का नाम हटा देने से समस्या हल नहीं होने वाली है, क्योकि गरीबी रेखा कि सूची को जरूरत से काफी छोटा रखा जाता हैं | यह मामला क्रियान्वयन में कमी या भ्रष्टाचार का नहीं, सरकार की नीति व नियत में ही खोट हैं |

कुल मिलाकर, गरीबी रेखा के इस भ्रमजाल को समझना और इससे बाहर निकलना जरूरी हैं | अर्थशास्त्रियों और विद्वानों की बौद्धिक कासरतों के लिए यह ठीक है, किन्तु सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए इसे आधार बनाना ठीक नहीं हैं | जनकल्याण की समस्त योजनाए व सुविधाए देश की साधारण जनता के लिए होनी चाहिए, सिर्फ गरीबी रेखा की सूची के परिवारों तक उन्हे सीमित नहीं किया जाए | जिस देश में 75-80 प्रतिशत आबादी गरीबी एवं अभावों में जी रही हों वहाइसके अलावा कोई विकल्प नहीं हैं | यदि कोई भेद करना है, तो वह अमीरों को बाहर करके किया जाए | आयकर का भुगतान करने वाले, निजी मोटर गाड़ी रखने वाले,

जैसे कुछ मानक बनाकर अमीर परिवारों की एक नकारात्मक सूची बनाई जा सकती | यह ज्यादा सरल एवं व्यावहारिक भी होगा | दूसरे शब्दों में, देश को गरीबी रेखा के बजाय अमीरी रेखा के बजाय अमीरी रेखा की जरूरत हैं | इस अमीरी रेखा की सूची के लोगों को सरकारी मदद से वंचित किया जा सकता हैं और उन पर भारी टाक्स लगाया जा सकता हैं |देश की जमीन की हदबंदी की ही तरह संपत्ति व आमदनी की एक ऊपरी सीमा बनाने पर की गंभीरता से विचार किया जा सकता हैं | आखिर हम यह न ही भूल सकते कि अमीरी और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं |

क्या है बच्चों के अधिकार

नवभारत टाइम्स | Updated Nov 12, 2011, 8:52 pm IST

बच्चों के अधिकार के प्रति कोई गंभीर नहीं हैं | हर कोई बच्चों पर अपना अधिकार जमाना चाहता हैं | बात चाहे सफर की हो, स्कूल की हो या फिर उसके भरण -पोषण की, हर जगह बच्चों के अधिकारों को अनदेखा किया जाता हैं |बच्चों के क्या अधिकार है औरकैसे हो इनकी सुरक्षा, आइए जानते है चिल्ड्रंस डे स्पेशल कंज्यूमर फोरम में |

क्या है अधिकार

यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी चाइल्ड राइट्स कनवेन्शन पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए है, भारत भी उनमें सी एक हैं | इसके अलावा भारतीय संविधान और राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकारों ने बच्चों के हितों और उनके हिफाजत के लिए बहुत से दिशा निर्देश जारी किए हैं | इसके तहत –

1) सभी बच्चों के लिए बेहतर और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाए (टीके आदि भी), अपंगता है तो विशेष सुविधा, साफ पाणी, पौष्टिक आहार, स्वस्थ रहने के लिए साफ वातावरण आवश्यक हैं | सरकार को ये सुविधाए उपलभ्द हो | यह सुनिश्चित करना चाहिए |
2) सभी बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक प्रथनिक शिक्षा विना मूल्य उपलब्ध हैं |
3) स्कूलों मेन बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास करने के साथ-साथ ऐसा कुछ न किया जाए जिससे उनकी गरिमा को ठेस पाहुचे |
4) बच्चों को अपने परिवार की भाषा और तौर-तरीके सीखने का पूरा अधिकार हैं | जो परिवार अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करना सरकार का दायित्व हैं |
5) बच्चों को शारीरिक शोषण व खतरनाक ड्रग्स से दूर रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना माता-पिता के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मदारी हैं |

6) राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या अभाव पर किसी बच्चें को एडमिशन देने से रोका नहीं जा सकता हैं |
7) एडमिशन के नाम पर बच्चेका टेस्ट नहीं लिया जाएगा |
8) एडमिशन का चक्र पूरा हो जाने के नाम पर बच्चे के एडमिशन को मना नहीं किया जा सकता |
9) सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए आवश्यक है की वे एडमिशन के लिए अपनी कुल उपलब्ध सीटो का 25
10) प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रख |
11) इस कोटे की कोई भी सीट खाली नहीं बचनी चाहिए व सीटों के लिए बच्चो का चयन रैनडम आधार पर किया जाना चाहिए यह आवश्यक हैं |
12) बड़ो को चाहिए कि वे बच्चों के विषयों में निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष भी जान ले |
13) बच्चे से अपराध होने की स्थिति में उनके साथ निर्दयता से पेश नहीं आना चाहिए |
14) सरकार का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उन्हे कोई अगवा न कर सके | इस स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए |

14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे फैक्ट्री, माइंस और अन्य किसी खतरनाक कान में सेवाए नहीं ली जा सकती |

हेल्पलाइन :

1) बच्चों के अधिकारो को अनदेखा किए जाने की स्थिति में सबसे पहले उसी ऑर्गनाइज़ेशन में अपना विरोध लिखित रूप में दर्ज कराए |
2) स्कूल में शिकायत होने पर डायरेक्टर एजुकेशन, ट्रेन में टीटी की शिकायत पुस्तिका में दर्ज करे | इसी प्रकार से अन्य स्थानों के प्रमुखों को लिखे |
3) बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होने के स्थिति में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष को इस पते पर लिखा जा सकता है: चेयर पर्सन, नैशनल कमिशन फॉर प्रटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 5 वी मंज़िल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली- 110001
4) ई- complaints-एनसीपीसीआर@gmail.com ; complaint-ncpcr.@gmail.com

यहा ऑनलाइन शिकायत का भी प्रोविज़न है, मगर यह सुविधा अक्सर नदारत रहती हैं | अलबत्ता फोन के जरिए अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज कराए :

फोन : 011-2373-1583 / 2372-4023

फ़ैक्स : 011-2373-1584

मध्य प्रदेश में 10 जिलों के अध्ययन में सामने आई हकीकत, स्कूल में पानी नहीं पी सकते 92 फीसदी दलित बच्चे :- द्वारा हरीश कुमार कुलरिया, जुलाई ,2017

http://www.bhimdastak.com/india/reality-in-study-of-madhya-pradesh-ten-district-भोपाल

आज़ादी के 69 साल बाद भी देश के दलित बच्चे भेद-भाव का देश झेलने को मजबूर हैं | चाइल्ड राइट औब्जर्वेटरी एवं मध्यप्रदेश दलित अभियान संघ द्वारा किया गया हालिया सर्वे इस भयावह सच्चाई को बयां करता हैं |

सर्वे के अनुसार :-

1) 92 फीसदी दलित बच्चे स्कूल में खुद पानी लेकर नहीं पी सकते उन्हे स्कूल के हैंडपम्प और टंकी छूने की मनाही हैं |
2) 57 फीसदी बच्चे को गैर दलित बच्चें उन्हे ऊपर से पानी पिलाते है |
3) 15 फीसदी बच्चों को स्कूल में प्यासा रहना पड़ता हैं |
4) 28 फीसदी बच्चे के माता पिता का कहना है कि प्यास लगने पर उनके बच्चे घर आकर पानी पीते है |
5) फीसदी बच्चों का कक्षा में आगे कि लाइन में बैठने नहीं दिया जाता हैं |
6) 79 फीसदी बच्चे पीछे के लाइन में, जबकि 15 फीसदी बच्चे बीच के लाइन में बैठते हैं |
7) 15 फीसदी बच्चे बीच के लाइन में बैठते हैं |

गैर दलित शिक्षकों का व्यवहार ठीक नहीं :

1) 88 फीसदी बच्चों के अनुसार, उन्हे शिक्षकों के भेद-भाव का शिकार होना पड़ता हैं |
2) 23 फीसदी बच्चों का कहना है कि गैर दलित कि तुलना में शिक्षक उनमें ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं |
3) 42 फीसदी बच्चों ने कहा, शिक्षक उन्हे जातिवाचक नामों से पुकारते हैं |
4) 44 फीसदी बच्चों ने कहकी गैर दलित बच्चे भी उनके साथ भेदभाव करते हैं |
5) 44 फीसदी बच्चों ने कहकी गैर दलित बच्चे भी उनके साथ भेदभाव करते हैं |

छुआछूत ने ले ली जान :

हाल ही में दमोह जिले के खमरिया काला गाँव के स्कूल में पढ़ने वाले 8 साल के बच्चे कि बावड़ी में गिरने से मौत हो गयी | बताया जाता है कि शिक्षक दलित बच्चों को स्कूल के हैंडपम्प से पानी नहीं देते थे | इस कारण से अभिषेक भाई और दोस्तों के साथ बावड़ी में पाणी पीने गया था |

ऐसे हुआ सर्वे :

संघ द्वारा प्रदेश के 5 प्रमुख क्षेत्र बघेलखड़, बुंदेलखंड, चंबल, महाकौशल और निमाड के 10 जिलों के 30 गाँवों के 412 दलित सरपंच, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी से बात कि गयी |

सर्वे के निष्कर्ष :

- मध्य प्रदेश में कुल मिलकर 70 प्रकार की छुआछूत प्रचलित हैं |
- 80 फीसदी गावों में दलितों को मंदिर में प्रवेश पर रोक हैं |
- गावों में नाई दलितों की कटिंग नहीं बनाते |

50 फीसदी गावों में दलित बच्चों के आधुनिक नाम रखने पर गैर दलित उनकी पिटाई कर देते हैं | बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा 52 प्रकार किछाछुट हैं | चंबल में 49, निमांड में 41, बघेलखंड में 38 और महाकौशल में 17 प्रकार की चाछुट प्रचलित हैं |

स्कूल में होने वाले उपेक्षित व्यवहार से और भेदभाव के चलते कई प्रतिभाशाली दलित बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं | आंकड़े बताते है कि पढ़ाई में होशियार होने के बाद भी दलित बच्चों को स्कूल में सबसे पीछे बैठने को मजबूर किया जाता हैं |

खोए बचपन की तलाश : नवभारत 22 जुलै 2017

आजादी के 70 वर्ष के बच्चों का क्या हाल है ? इतना बुरा की म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के बच्चे भारत के बच्चों से ज्यादा खुशनसीब हैं |

सेव द चिल्ड्रन नामक संस्था की 'स्टोलन चाइल्डहुड' शीर्षक रिपोर्ट(2017)के मुताबिक,बाल सुविधाओ की वास्तविक स्तिती का प्रदर्शन है | भारत में हर दी 3200 बच्चे अपने पांचवे जन्मदिन से पहले ऐसी बीमारियों के कारण मर जाते है, जो अन्य देशों में जान लेवा नहीं हैं | देश के 38 फीसदी बच्चे अपने जीवन के पहले महीनों में कुपोषित हो जाते है, इसकी वजह से 8 करोड़ बच्चों का कद नहीं बढ़ पता | रिपोर्ट कहती है कि इस देश के 8.4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते है, जिनमें से 78 लाख इसलिए नहीं जाते, क्योकि चोटी उम्र मे ही उनको मजदूरी करनी पड़ती हैं | माना जाता है कि अपने भारत महान मे बाल मजदूरी कि संख्या 82.2 लाख हैं | इन बच्चों मे सबसे बुरा हाल बेटीयों का है, इसलिए 30 फीसदी बच्चियाँ 18 वर्ष तक पाहुचने से पहले ही ब्याह दी जाती है और चोटी उम्र मेन माँ बन जाती हैं | जिसके कारण न उसकी सेहत अच्छी रहती है और न ही उनके बच्चों कि |

दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों मेन जब महामारिया फैलती है तो इनकी जड़े पाई जाती है उन झुग्गी बस्तियो में जहां गरीब रहते हैं | माध्यम वर्ग और धनवान, दोनों के बच्चे इसका शिकार बनाते है पर चूंकि हम अपने बच्चों का इलाज की क्षमता रखते है, तो हम उन गरीबों की परवाह नहीं करते जो लंबी बीमारियों में बेटियों का इलाज नहीं करवा सकते | गरीब भारतीय अपने बच्चों को सिर्फ सुखी रोटी और चाय दे सकते हैं | बस्तियों में आज भी स्वच्छ भारत का नामोनिशान नहीं दिखाता इसके लिए हम सभी दोषी हैं | सबसे बड़ा दोष देश की सरकारों का हैं, जिन्होने बच्चों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाए बनाई, लेकिन इनमें भ्रष्टाचार के अवसर ज्यादा है और बच्चों को स्वस्थ रखने के कम बच्चों को दिन में एक वक़्त का पोषण अगर भरपूर मिले तो कुछ दिनो में ही बच्चों की सेहत और शिक्षा में परिवर्तन दिखाता हैं |